



2026:AHC:173672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7549 वर्ष

2026

नंदन कुमार एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय द्विवेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., नारायण सिंह (कुशवाहा)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. मैंने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण सिंह (कुशवाहा), सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 367/2026 में दायर की गई है और बीएनएस की धाराओं 115(2), 352, 351(2), 109(1) (भादंस की धाराओं 323, 504, 506, 307 के तहत) के तहत अली नगर पुलिस थाना, चंदौली ज़िले में दर्ज है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उन्हें इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी में आवेदकों की भूमिका सामान्य बताई गई है। घायल व्यक्ति को सिर पर केवल एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चोट लगी है, जिसके बारे में बाद में राय दी गई कि पैरिएटल हड्डी में बिना विस्थापन वाली सीधी फ्रैक्चर है। आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच पैसों का विवाद था और घायल लड़की, जो लगभग 11 साल की है, के गिरने और सिर पर चोट लगने का फायदा उठाकर प्राथमिकी में एक झूठी कहानी बनाई गई है।

4. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्राथमिकी में आवेदकों का नाम साफ तौर पर लिखा है। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज सूचनाकर्ता के बयान में आवेदकों की विशिष्ट भूमिका बताई गई है। विवेचना अभी भी चल रही है और हिरासत में पूछताछ और आगे की बरामदगी के लिए आवेदकों की ज़रूरत पड़ सकती है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

6. प्राथमिकी 4 दिन की देरी से दर्ज की गई है। घायल व्यक्ति को केवल एक दिखाई देने वाली चोट लगी है। सूचनाकर्ता के बयान में, बताई गई चोट के लिए आवेदक संख्या 2- चंदन कुमार को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इस न्यायालय की राय में, आवेदक संख्या 2- चंदन कुमार को अग्रिम जमानत देने का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

7. **आवेदक संख्या 2 चंदन** से जुड़ा यह आवेदन **खारिज किया जाता है।**

8. जहाँ तक आवेदक संख्या 1 और 3 की बात है, उन पर उकसाने और सूचनाकर्ता को गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में उनकी भूमिका के बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं बताई गई है। इसके अलावा, घटना के 4 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय की राय में, आवेदकों को बेवजह या झूठे तौर पर फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक संख्या 1, आवेदक संख्या 2 का भाई है और आवेदक संख्या 3 पिता है, जिससे न्यायालय को यह यकीन होता है कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया हो सकता है। आवेदक संख्या 1 और 3 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भी कि घायल व्यक्ति को लगी सिर की एकमात्र चोट के लिए सह-आरोपी, आवेदक संख्या 2 चंदन कुमार को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, मुझे आवेदक संख्या 1 और 3 को अग्रिम जमानत देना उचित लगता है।



10. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, आवेदक संख्या 1 और 3 की अग्रिम ज़मानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. अगर आवेदक संख्या 1 और 3, यानी नंदन कुमार और समग्या को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू भरने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ, उक्त आपराधिक प्रकरण में तुरंत अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

- i. आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे;
- ii. कि आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे, जिससे वे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाएं;
- iii. कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएं-धमकाएं नहीं;

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को ज़मानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियां केवल इस अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

सचिन